


दिनांक हुक्म	कार्यवाही
26/19	<p>पमावलीपेसा दुरी) वकिल अफीमाने अनुपस्थित                      वकिल रेस्यों उपस्थित हुए न्यायालय शमप                      के 12-12, 13-13 12 अलावा लजबंदिगरी                      एवं न्यायालय शमप लज हेतु जाद किया गया परन्तु                      अफीमाने एवं वकिल अफीमाने दोनों के से नही                      भी उपस्थित नही हुआ ऐसी स्थिति प्रकृतिको                      न्यायालय में चलाया गया उचित उतील नही                      होता है। अतः अपील अफीमाने अदालत हाजरी                      अदालत परकी के शरतिज की जाती है। पमावली                      मजकूर के कम्पेडल काद लामील लकमीक                      पालिल वधाल है निर्णय आज खुले न्यायालय                      में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">                       28/11/19                      अति. कलक्टर एवं                      अति. जिला मजिस्ट्रेट                      झालावाड़ (राज.)                 </p>

